

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

विनोद कुमार पाठक,
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक:

विषय- डा० अशोक कुमार सिंह, सेवानिवृत्त निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को ३०० (तीन सौ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकद राशि की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

वित्त विभागीय परिपत्र संख्या ८८८९ (२) वि० दिनांक २४.१२.१९८६, पत्रांक १८२९ वि० (२) दिनांक ०७.०४.२००५ एवं प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक १७७(२५) दिनांक २८.०१.२०२६ के आलोक में डा० अशोक कुमार सिंह, सेवानिवृत्त निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को ३०० (तीन सौ) दिनों के अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकद राशि की स्वीकृति दी जाती है।

२ उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि यदि कभी भी वित्तीय अनियमितता/वसूलनीय राशि का मामला प्रकाश में आता है तो उसकी नियमानुकूल वसूली डा० अशोक कुमार सिंह से की जाएगी।

३ साथ ही डा० अशोक कुमार सिंह द्वारा प्रतिवेदित किया गया है मैं दिनांक ०१.०१.२०२४ से सेवा निवृत्ति की तिथि ३१.०१.२०२६ तक उपार्जित अवकाश का उपभोग नहीं किया हूँ।

४ डा० अशोक कुमार सिंह की सेवा निवृत्ति की तिथि ३१.०१.२०२६ है।

५ अनुरोध है कि प्राधिकार पत्र अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना के नाम से निर्गत करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)

ज्ञापाक

१५२(५)

/स्वा० पटना दिनांक ११/१२/२६

प्रतिलिपि: निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: डा० अशोक कुमार सिंह, सेवानिवृत्त निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना, पत्राचार का पता-कपनी सराय, रोजा रोड, साराराम, जिला-रोहतास, पिन-८२१११५, मो० न० ९४३१०५८४६७ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-२, ७, ८, ९ एवं १० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Wahank 01/12/26
सरकार के उप सचिव